संख्या:358/2022/1290/35-4-2022/001-35-4099/503/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 19 अक्टूबर,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-गाजियाबाद में शासनादेश संख्या-601/2021/2607/35-4-2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 13 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इन कार्यों में से 10 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 259.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पत्रांक: 679/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 14 सितम्बर 2022 द्वारा प्रश्नगत कार्यों हेतु उक्त शासनादेश द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू. 109.73 लाख (रूपये एक करोड़ नौ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड नं0-46 फ्रेन्ड्स कॉलोनी गुलधर- 2 में रोहित से विनोद के मकान तक (बिजली घर इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	30.74	15.00	15.74
2	वार्ड नं0-46 फ्रेन्ड्स कॉलोनी में राजेन्द्र के मकान से गोकुल धाम एवं गोकुलधाम बिल्डिंग से उत्सव भवन गेट तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	30.11	15.00	15.11
3	वार्ड नं0-46 गुलधर-2 बसंतकुंज में प्रमोद से (भूपेन्द्र) एस0के0 थपलीयाल के मकान तक एवं रविशंकर से गौरव त्यागी के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	28.95	15.00	13.95
4	वार्ड नं0-46 गुलधर-2 बसंतकुंज में नरेन्द्र चौधरी से सुशील कुमार के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	16.50	15.00	1.5
5	शाहपुर बम्हेटा कृष्णा विहार में राम प्रवेश से अजय रावल के मकान तक, रामगिरि से मंगल के मकान तक, अनिल से चन्द्रवती के मकान तक व शिव कुमार वाली गली में इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	29.43	15.00	14.43
6	शाहपुर बम्हेटा श्रीराम इन्कलेव में मुकेश चन्द से जय प्रकाश के मकान तक व सुरेश से रवि के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	17.91	15.00	2.91
7	शाहपुर बम्हेकटा श्रीराम इन्क्लेव में जयपाल के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक, उमेश चन्द/मुकेश से ललित	25.47	15.00	10.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
	मिश्रा के मकान तक, सुरेश/इन्द्रपाल वाली गली तथा मनोज से धर्मेन्द्र के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।			
8	वार्ड-16 गढ़ी में 5 नं0 भट्टा रोड से शिव मन्दिर होते हुए हरिओम के मकान तक, सतपाल से हरिओम के मकान तक व सतीश से योगश के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	25.64	15.00	10.64
9	वार्ड-16 सिकरोड़ में बिट्टू से जयप्रकाश के मकान तक, लक्ष्मी मास्टर के बराबर वाली गली, कमरपाल से ओमपाल के मकान तक (माता वाली गली), कालू कुम्हार से हरिओम के मकान तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	18.11	15.00	3.11
10	वार्ड नं0-62 न्यू शताब्दी पुरम में राजू शर्मा से मकान नं 0-73 तक व रनवीर त्यागी से रामकुमार के मकान तक, दीपक वर्मा वाली गली, दिनेश वाली गली, जय प्रकाश से देवेन्द्र के मकान तक, आ0एस0 त्यागी से राहुल के मकान तक व धीरज से मनोज के मकान तक एवं दिनेश वाली गली में इन्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	36.87	15.00	21.87
	योग:	**259.73**	**150.00**	**109.73**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,09,73,000 (रूपये एक करोड़ नौ लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:358/2022/1290(1)/35-4-2022/001-35-4099/503/2021, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजियाबाद।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।